## नगर परिषद, बाडमेर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम २००९ की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.ः

LSG/BARMER/FIRENOC/2024-25/31256

जारी दिनांकः

30-MAY-2024

वैधता दिनांकः

29-MAY-2025

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः

SMT. MOHNI DEVI CHOUDHARY

आवेदक का पताः

NH68 NEAR BOB BANK BALDEV NAGAR BARMER

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन DAISY DAYS INTERNATIONAL SCHOOL BARMER, 121, NH68, BALDEV NAGAR BARMER, BARMER, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

## शर्तैः-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष की अविध हेतु मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- अग्निश्मन उपकरण समयाविध में रीफिल करना होगा।
- 4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- उ. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगां।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होगें व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगें।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगें तथा ए एफ सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- 9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- 10. 10 भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति आवश्यक पदार्थ नहीं रखा जावें।
- 11. 11. रोप लेंडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- 12. 12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- 13. १३. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 14. 14. यह अनापित प्रमाण पत्र रुफटॉप रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापित प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रुफटॉक रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- 15. अग्निशमन अधिकारी नगर परिषद्, बाइमेर



Signed by: Vijay Pratap Singh Rathore Issuing Authority: DC/EO/Commissioner Location: BARMER, Rajasthan Date: 30/05/2024 1:17:05

अग्निशमन अधिकारी नगर परिषद, बाडमेर